फाइल सं. 1-50/2019-एनवीबीडीसीपी (प्रशा.1)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **प्रशासन अधिकारी** पद के भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी सार्वजनिक नोटिस।

डीओपी व टी के कार्यालय ज्ञापन सं.एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **प्रशासन अधिकारी** के पद के संबंध में भर्ती नियमों की अधिसूचना का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे के संबंध में जो पणधारी कोई आपत्ति/टिप्पणी/अथवा सुझाव देना चाहते हैं तो वे भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवधि के भीतर लिखित रूप से श्री अम्बा दत्त वबाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753 'ए' निर्माण भवन, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली-110008 पर अथवा sovbdhfw@gmail.comपते पर ईमेल कर सकते हैं।

(अम्बा दत्त वबाड़ी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23061510

नई दिल्ली

दिनांक:

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक.........

अधिसूचना

सा. का. नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, **प्रशासन अधिकारी**(गुप 'ख' पद) भर्ती नियम, 1988 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतदद्वारा स्वास्थ्य सेबा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम विभाग में प्रशासन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में प्रशासन अधिकारी गुप 'ख' राजपत्रित अधिकारी भर्ती नियम, 2019 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शाक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासन अधिकारी राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम	*01(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित	वेतन मेट्रिक्स स्तर -8, 47600-151100 रु	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति से और इसके न होने से प्रतिनियुक्ति पर

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
<u>पदोन्नति:</u> एनवीबीडीसीपी महानिदेशालय के 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके, मेट्रिक्स स्तर-6 के अधीक्षक, मुख्य लिपिक/सहायक <u>प्रतिनियुक्ति</u> केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारियों में से 1) नियमित आधार पर सदृश पदधारी 2). मेट्रिक्स स्तर-6 के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों का अनुभव रखते हों।(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें अन्य बाह्य संवर्ग पर प्रतिनियुक्ति भी शामिल है, इसी या फिर केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं, सामान्यतया इसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	<u>गुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1) अपर महानिदेशक, स्वा.सेबा -अध्यक्ष सेबा महानिदेशाल 2) निदेशक(ए व वी)/ उप निदेशक- सदस्य (ए व वी), स्वा.सेबा महानिदेशालाय 3) निदेशक, एनवीबीडीसीपी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(फा.सं.ए-1-50/2019/एनवीडीसीपी(प्रशा-।)

(अम्बा दत्त वबाड़ी)
अवर सचिव